(नियम 26) 2022/313

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री ताराचन्द पुत्र श्री फुलाराम

किस्म मुकदमा FSSAI नं. 51 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-09-2022	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो।	
21.09.2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22-09-2022 को पेश हो।	
22.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या का कथन है कि उसने वार्ड नम्बर 2, पुराना बस स्टेण्ड के पास सुरजगढ में मै0 रिद्धि सिद्धि मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले दुध को खरीद कर पनीर बनाता है। अनावेदक ने दुध में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2133/एक्ट/2022/2167 दिनांक 28.06.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 रिद्धि सिद्धि मिष्ठान भण्डार पर पनीर स्वयं तैयार करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर के सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री तारा चन्द पुत्र श्री फूलाराम, मै0 रिद्धि सिद्धि मिष्ठान भण्डार वार्ड नम्बर 2, पुराना बस स्टेण्ड के पास सुरजगढ, झुंझुनू, निवासी कुम्हारों का बास, भापर, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 3000/- तीन हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माना से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद में जमा करवाने हेतु चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवायें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू	ताराचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.06 11:27:51 IST
Reason: SelfAttested